न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 09 / 2025

राजस्थान सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री जावेद पुत्र मोहम्मद रफीक

एफ के फास्ट फूड

जैन पण्डाल, लाखन कोटडी, अजमेर निवासी नाई मौहल्ला लाखन कोटडी अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार

श्री दलजीत सिंह राव अभिभाषक अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 01.04.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.1.2025 को जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार उर्स मेला के तहत गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग / घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल श्री जावेद पुत्र मोहम्मद रफीक, एफ.के.फास्ट फूड, जैन पण्डार, लाखन कोटडी अजमेर पहुँचे। दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर लगा कर व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के सदंर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए । दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर कार्य में घरेलू सिलेण्डर दुरूपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की अवलहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर कालू खान प्रतिनिधि गुलाब गैस एजेन्सी, अजमेर को बुलवा कर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	252332 ई	Iocl	15.4	26.0	10.6

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, मय 10.6 किग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित जवाब प्रार्थना पत्र हेतु कई अवसर प्रदान किए। जबाब प्रस्तुत नही किए जाने से जवाब बन्द कर बहस सुनी गई ।

जिला कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 28.12.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग, अवैध गैस रिफलिग किया जाना पाया गया। मौके पर 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 10.6 किग्राम एलपीजी पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी. जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 10.6 किग्राम एलपीजी को राजसात फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध गैस रिफलिंग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 28.12.2024 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य स्वतः ही साबित है। अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 01 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, मय 10.6 किग्राम एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
अजमेर